

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:प.1(9)रानिआ/लेखा/बजट/2014-15/10063

दिनांक:- 31/12/14

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति

जिला निर्वाचन अधिकारी
(समस्त) राजस्थान।

विषय:- पंचायत आम चुनाव 2015 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2015 के व्ययों के भुगतान हेतु बजट मद 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 00, 800-अन्य व्यय, (01) पंचायत निर्वाचनों पर व्यय, [02] महानिर्वाचन, 28-विविध व्यय (आयोजना भिन्न) (मांग संख्या-7) के अन्तर्गत विभिन्न विस्तृत मदों यथा मानदेय, यात्रा भत्ता, पी.ओ.एल./वाहन किराया, विडियोग्राफी, अल्पाहार, टैण्ट व बैरीकेडिंग मतदान केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्था/मतदान दलों को एकमुश्त राशि भुगतान मतपत्र मुद्रण तथा अन्य सामग्री मुद्रण में संलग्न सारणी के अनुसार राशि रु. 70,74,29,600/- (अक्षरे सत्तर करोड़ चौहत्तर लाख उनतीस हजार छः सौ मात्र) का बजट आवंटन किया जाता है।

मानदेय हेतु आवंटित राशि का उपयोग चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों के अधिक कार्य घंटों के लिये नियमानुसार मानदेय तथा प्रशिक्षकों को देय मानदेय हेतु किया जावे। मतदान/मतगणना दलों तथा जोनल मजिस्ट्रेट आदि को प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों को मानदेय का भुगतान आयोग के आदेश संख्या 3697 दिनांक 02.09.2014 के निर्देशानुसार किया जावे।

यात्रा भत्ता के अन्तर्गत मतदान दलों, मतगणना दलों, मतदान दलों/जोनल मजिस्ट्रेट के साथ नियुक्त पुलिस कार्मिकों एवं जोनल मजिस्ट्रेट आदि को भुगतान आयोग के आदेश क्रमांक 4460 दिनांक 02.10.2014 के निर्देशों/मापदण्डों के अनुरूप किया जावे। मतदान दलों का गठन/प्रशिक्षण आयोग के पत्रांक 9647 दिनांक 21.12.2014 के निर्देशानुसार किया जावे।

पंचायत चुनाव के मतदान दलों, जोनल मजिस्ट्रेट, पुलिस व्यवस्था व अन्य सामान्य व्यवस्था/सामग्री परिवहन हेतु अधिग्रहित वाहनों के किराये व पी.ओ.एल. आदि का भुगतान आयोग के आदेश क्रमांक 2655 दिनांक 24.06.2014 में स्वीकृत दरों/मापदण्डों के अनुरूप किया जावे।

विडियोग्राफी मद में आवंटित राशि का उपयोग आयोग के दिशानिर्देशों/निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही किया जावे। मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों को मतदान दिवस पर अल्पाहार के पेटे राशि का भुगतान आयोग के आदेश क्रमांक 4460 दिनांक 02.10.2014 के बिन्दु संख्या-07 के दिशानिर्देशानुसार किया जावे।

मतगणना दल एवं अन्य स्टॉफ के लिए अल्पाहार विस्तृत मद में आवंटित राशि का उपयोग मात्र जिला परिषद/पंचायत समिति की मतगणना में नियुक्त कार्मिकों को अल्पाहार, आयोग के आदेश संख्या 4460 दिनांक 02.10.2014 के बिन्दु संख्या-08 के अनुसार उपलब्ध कराने हेतु किया जावे। चुनाव की विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे कार्मिकों तथा प्रशिक्षकों को आयोग के आदेश क्रमांक 3747 दिनांक 03.09.2014 के बिन्दु संख्या 12, 13, 14 एवं 16 में निर्धारित दरों के अन्तर्गत अल्पाहार की व्यवस्था हेतु किया जावे।

टैण्ट व बैरीकेडिंग के अन्तर्गत राशि का भुगतान वास्तविक उपयोग दिवसों के लिए ही किया जावे। जिला निर्वाचन अधिकारी, आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश क्रमांक 3759 दिनांक 05.09.2014 के बिन्दु संख्या (अ) 2,4,6,7 एवं (ब) 6,7 में अंकित शर्तों की पालना सुनिश्चित करावे। मतदान दलों को एक मुश्त राशि का भुगतान मेडिसिन/मतदान केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं पर व्यय आयोग के

30/12/14

आदेश क्रमांक 3747 दिनांक 03.09.2014 के बिन्दु संख्या 1 से 7 व 9 में निर्धारित दरों से किया जाना है। आदेश के बिन्दु संख्या-08 के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को पीने के पानी की व्यवस्था उन्हीं मतदान केन्द्रों पर की जानी है जहाँ पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न हो। बिन्दु संख्या-10 में मतदान केन्द्रों पर छाया आदि की व्यवस्था सर्दी का मौसम होने के कारण आवश्यकता नहीं रहेगी, अतः सामान्यतः इस व्यवस्था पर व्यय नहीं किया जावे।

मतपत्र मुद्रण के लिए आवंटित राशि का उपयोग जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य, सरपंच व पंच चुनाव के मतपत्र/एक्स्ट्रा स्लिप मुद्रण के व्यय के भुगतान हेतु किया जावे। अन्य सामग्री मुद्रण में आवंटित राशि का उपयोग मतपत्र के अतिरिक्त अन्य आवश्यक सामग्री के मुद्रण यथा निर्देश पुस्तिका, विभिन्न कूपन, पलेक्स, पोस्टर, बैनर एवं स्टीकर आदि में किया जा सकेगा।

वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र दिनांक 9.1.12 के अनुसार किसी बजट शीर्ष से राशि आहरित करने एवं तत्पश्चात अवशेष राशि को उसी वित्तीय वर्ष/आगामी वर्षों में उसी बजट शीर्ष में माइनस (Minus) के रूप में जमा कराने पर जमा की गई राशि व्यय हेतु उपलब्ध नहीं होगी अर्थात् आहरित राशि को ही पूर्ण व्यय माना जायेगा। अतः ए.सी. बिलों के आहरण से पूर्व व्यय का सटीक अनुमान किया जाकर ही राशि का आहरण किया जावे। अधिक राशि के आहरण की दशा में अनुपयोगी राशि के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

नियन्त्रण अधिकारी राशि के उपयोग से पूर्व यह सुनिश्चित करावे कि राशि का उपयोग सम्बंधित बजट मद से ही किया गया है। वित्त विभाग एवं आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/प्रपत्रों सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जावे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार/आयोग द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/निर्देश के किन्हीं बिन्दुओं/व्यय के संबंध में मार्गदर्शन/स्थिति स्पष्ट न होने अथवा संशय उत्पन्न होने पर संबंधित बिन्दु पर आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जावे। किसी भी नियम, परिपत्र/निर्देश की गलत विवेचना के फलस्वरूप राजकोष को होने वाली हानि के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अतिरिक्त बजट मांग के संबंध में औचित्य सहित विवरण ई-मेल से प्रेषित करावें। पंचायत चुनाव से संबंधित समस्त दायित्वों का निपटारा चुनाव सम्पन्न होने की तिथि से एक माह की अवधि में आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करावें। उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण विस्तृत मदवार आयोग को मासिक विवरण के साथ ई-मेल से प्रेषित करावें।

संलग्न :- एक


(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव 30/12/14
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:प.1(9)रानिआ/लेखा/बजट/2014-15/ 10064-70

दिनांक:- 31/12/14

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा I) आई.सी. II राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार/सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
6. कम्प्यूटर शाखा/अंक मिलान शाखा/पंचायत चुनाव शाखा/भण्डार शाखा।
7. गार्ड फाईल।


(कोमल आगरी)
वित्तीय सलाहकार,

D.N. 10063
31.12.2014

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

BUDGET ALLOTMENT FOR PANCHAYAT GENRAL ELECTION 2015

BUDGET HEAD 2515-OTHER RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME, 00-800-OTHER EXP. (01) EXPENDITURE ON PANCHAYAT ELECTION [02] GENERAL ELECTION, 28 SUNDRY EXPENSES (NP)

S.NO.	NAME OF DISTRICT	NO. OF PANCHAYAT SAMITI	NO. OF POLLING BOOTH	HONORERIUUM	T.A.	P.O.L./HIRE CHARGES	REFRESHMENT TO POLLING PARTY	REFRESHMENT TO COUNTING & OTHER STAFF	VIDEO GRAPHY	OUTRIGHT PAYMENT	BALET PAPER PRINTING	OTHER PRINTING	TENT, BERRICATING, LIGHT, MIKE & STRONG ROOM	TOTAL BUDGET ALLOTMENT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	AJMER	9	1126	180000	11260000	5630000	2702400	225200	270000	450400	337800	112600	450000	21618400
2	ALWAR	14	2166	280000	21660000	10830000	5198400	433200	420000	866400	649800	216600	700000	41254400
3	BANSWARA	11	1157	220000	11570000	5785000	2776800	231400	330000	462800	347100	115700	550000	22388800
4	BARAN	7	728	140000	7280000	3640000	1747200	145600	210000	291200	218400	72800	350000	14095200
5	BARMER	17	1588	340000	15880000	7940000	3811200	317600	510000	635200	476400	158800	850000	30919200
6	BHARATPUR	10	1299	200000	12990000	6495000	3117600	259800	300000	519600	389700	129900	500000	24901600
7	BHILWARA	12	1368	240000	13680000	6840000	3283200	273600	360000	547200	410400	136800	600000	26371200
8	BIKANER	7	1050	140000	10500000	5250000	2520000	210000	210000	420000	315000	105000	350000	20020000
9	BUNDI	5	653	100000	6530000	3265000	1567200	130600	150000	261200	195900	65300	250000	12515200
10	CHITTORGARH	11	967	220000	9670000	4835000	2320800	193400	330000	386800	290100	96700	550000	18892800
11	CHURU	7	1044	140000	10440000	5220000	2505600	208800	210000	417600	313200	104400	350000	19909600
12	DAUSA	6	1004	120000	10040000	5020000	2409600	200800	180000	401600	301200	100400	300000	19073600
13	DHOLPUR	5	634	100000	6340000	3170000	1521600	126800	150000	253600	190200	63400	250000	12165600
14	DUNGARPUR	10	822	200000	8220000	4110000	1972800	164400	300000	328800	246600	82200	500000	16124800
15	GANGANAGAR	9	1056	180000	10560000	5280000	2534400	211200	270000	422400	316800	105600	450000	20330400
16	HANUMANGARH	7	1090	140000	10900000	5450000	2616000	218000	210000	436000	327000	109000	350000	20756000
17	JAIPUR	15	2257	300000	22570000	11285000	5416800	451400	450000	902800	677100	225700	750000	43028800
18	JAISALMER	3	376	60000	3760000	1880000	902400	75200	90000	150400	112800	37600	150000	7218400
19	JALORE	8	1167	160000	11670000	5835000	2800800	233400	240000	466800	350100	116700	400000	22272800
20	JHALAWAR	8	794	160000	7940000	3970000	1905600	158800	240000	317600	238200	79400	400000	15409600
21	JHUNJHUNU	8	1267	160000	12670000	6335000	3040800	253400	240000	506800	380100	126700	400000	24112800
22	JODHPUR	16	1650	320000	16500000	8250000	3960000	330000	480000	660000	495000	165000	800000	31960000
23	KARAULI	6	761	120000	7610000	3805000	1826400	152200	180000	304400	228300	76100	300000	14602400
24	KOTA	5	619	100000	6190000	3095000	1485600	123800	150000	247600	185700	61900	250000	11889600
25	NAGAU	14	2022	280000	20220000	10110000	4852800	404400	420000	808800	606600	202200	700000	38604800
26	PALI	10	1385	200000	13850000	6925000	3324000	277000	300000	554000	415500	138500	500000	26484000

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN
BUDGET ALLOTMENT FOR PANCHAYAT GENRAL ELECTION 2015

BUDGET HEAD 2515-OTHER RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME, 00-800-OTHER EXP. (01) EXPENDITURE ON PANCHAYAT ELECTION [02]
GENERAL ELECTION, 28 SUNDRY EXPENSES (NP)

S.NO.	NAME OF DISTRICT	NO. OF PANCHAYAT SAMITI	NO. OF POLLING BOOTH	HONORERIU	T.A.	P.O.L./HIRE CHARGES	REFRESHMENT TO POLLING PARTY	REFRESHMENT TO COUNTING & OTHER STAFF	VIDEO GRAPHY	OUTRIGHT PAYMENT	BALET PAPER PRINTING	OTHER PRINTING	TENT, BERRICATING, LIGHT, MIKE & STRONG ROOM	TOTAL BUDGET ALLOTMENT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	PRATAPGARH	5	545	100000	5450000	2725000	1308000	109000	150000	218000	163500	54500	250000	10528000
28	RAJSAMAND	7	793	140000	7930000	3965000	1903200	158600	210000	317200	237900	79300	350000	15291200
29	SIKAR	9	1495	180000	14950000	7475000	3588000	299000	270000	598000	448500	149500	450000	28408000
30	SIROHI	5	572	100000	5720000	2860000	1372800	114400	150000	228800	171600	57200	250000	11024800
31	SAWAIMADHOPUR	6	785	120000	7850000	3925000	1884000	157000	180000	314000	235500	78500	300000	15044000
32	TONK	6	779	120000	7790000	3895000	1869600	155800	180000	311600	233700	77900	300000	14933600
33	UDAIPUR	17	1825	340000	18250000	9125000	4380000	365000	510000	730000	547500	182500	850000	35280000
	TOTAL	295	36844	5900000	368440000	184220000	88425600	7368800	8850000	14737600	11053200	3684400	14750000	707429600
In Words Rupees Seventy Carore Seventy Four Lacs Twenty Nine Thousand Six Hundred Only														


वि-तीय सहाइकार
राज्य निर्वाचन आयोग
जयपुर (राजस्थान)